FC230315

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति का कार्यवृत्त

वित्त समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2023 को अपराहन् 3:00 बजे प्रशासनिक भवन मंथन हाल, लखनऊ विश्वविद्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	प्रो0 आलोक कुमार राय,	कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री अजय सिंह चौहान,	लेखाधिकारी, प्रतिनिधि, अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार कार्यालय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। प्रतिनिधि सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य
3.	श्री सुधीर चौहान,	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ। प्रतिनिधि सचिव (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो0 संजय मेधावी,	कुलसचिव	सदस्य
5.	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी,	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 2022 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2023–24 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम/विकास निधि का आय–व्ययक विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत आय–व्ययक पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2023–24 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आय–व्ययक विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत आय–व्ययक पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

अटल सुशासन पीठ, लोक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के सुचारू संचालन हेतु कुलसचिव पत्र संख्या आर/1283/22 दिनांक 10.10.2022 के क्रम में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.10.2022 की कार्यवृत्त/संशोधित नियमावली वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से संशोधित नियमावली पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–04

प्रो0 पंकज माथुर समन्वयक, प्रवेश परीक्षा, द्वारा प्रेषित प्रस्ताव, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2023–24 में प्रवेशित अभ्यिर्थियों को रजिस्ट्रेशन के समय LURN नम्बर के लिए प्रति

छात्र/छात्रा से रू0 100/– का शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय ट्रॉजिस्ट हास्टल कम गेस्ट हाउस के रसोई द्वारा प्रदत्त की जा रही खाद्य सामग्री की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित, इंचार्ज, ट्रॉजिस्ट हास्टल कम गेस्ट हाउस के प्रस्ताव को वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की सहमति से।

अन्य बिन्दु संख्या–1

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अतिथि गृह के प्रभावी संचालन हेतु एक रसोइयॉ का पद सृजित करते हुए आउट–सोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिए जाने तथा उसका भुगतान अतिथि गृह की आय से किये जाने से सम्बन्धित इंचार्ज, ट्रॉजिस्ट हास्टल कम गेस्ट हाउस के प्रस्ताव को समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–2

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम/विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए वेतन दर का निर्धारण शासनादेश संख्या 2/2020/226/सत्तर–2–2020–18(31)/2018 दिनांक 13.03.2020 के अन्तर्गत करने हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च, 2023 की कार्यवृत्ति पर अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2023–24 से निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(1)

कमांक	पाठ्यक्रम	पदनाम	न्यूनतम वेतन दर निर्धारण की संस्तुति
1	IMS/FOEr. & Tech/IPS/MBA Programmes of Faculty of Commerce स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 57,700/–प्रतिमाह + ई0पी0एफ0
		एसोसिएट प्रोफेसर	रू0 1,31,400/–प्रतिमाह + ई0पी0एफ0
		प्रोफेसर	रू0 1,44,200/–प्रतिमाह + ई0पी0एफ0
		निदेशक	रू0 1,44,200/–प्रतिमाह + ई0पी0एफ0 + रू0 10,000/– प्रतिमाह (विशेष भत्ता)

(2) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित जिन पाठ्यकमों मे कार्यरत शिक्षको को उपरोक्त प्रस्तर 01 मे की गयी संस्तुति से कम वेतन मिल रहा है, उनका वेतन उपरोक्तानुसार निर्धारित करने तथा जिस शिक्षको को उपरोक्त संस्तुति से अधिक वेतन मिल रहा है, उन्हे वर्तमान में मिल रहे वेतन दर पर ही नियत करने की समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।

(3) शासनादेश में दी गयी व्यवस्था अनुसार शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

अन्य बिन्दु संख्या–3

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर स्थित लावण्या एवं गंगा छात्रावासों में 01 कार्यालय सहायक, 01 परिचर, 02 माली, 03 आया, 03 चौकीदार एवं 04 सफाई कर्मी के पद सृजन से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार पद सृजित करते हुए नियमानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लेने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–4

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर स्थित गंगा छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाले निम्नवत् प्रस्तावित रूम–रेंट की दरों पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Sl. N0.	Name of Hostel	Room Rent (per occupant for one academic session (in Rs.)	Room Caution Money (in Rs.)	Other Charges (includes Cultiral, spors, contingent expenditures etc.) (in Rs.)
1	Ganga Hall	Double Seater Room Rs. 24,000	5,000	1,325

अन्य बिन्दु संख्या–5

बी0फार्मा पाठ्यक्रम मे विदेशी छात्रों के लिए शुल्क संरचना तय करने के सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया जो कि निम्नवत् है:–

Course	Tution Fees (In US $)
Bachelor in Pharmacy (B.Pharma)	$ 2300 Per Semester

अन्य बिन्दु संख्या–6

सत्र 2021–22 से लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ जनपद के अतिरिक्त अन्य चार जनपद (लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई) के लगभग 400 महाविद्यालय सम्बद्व हो गये है और कुल महाविद्यालयों की संख्या लगभग 576 होगयी है। अनुपातिक रूप से परीक्षा उत्तरपुस्तिकाओं की प्रासेसिंग, मूल्यांकन, परीक्षाफल तथा यू.एफ.एम. स्कूटनी इत्यादि परीक्षा कार्यो मे काफी वृद्वि के फलस्वरूप परीक्षा कार्य मे संलग्न परीक्षा अधिकारियों को मानदेय दिये जाने का परीक्षा नियन्त्रक का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। जो कि निम्नवत् है:–

Designation	Conduct & Processing (Per Semester)	Evaluation & Result (Per Semester
Chairman Examination committee	Rs. 1000 per Shift (For Conduct of Examination) 2000 Per day for Processing (Maximum of 10 days from the last date of the conduct of examination concern)	2000 Per day
Superintendent	Rs. 800 Per Shift (For Conduct of Examination) 1600 Per day for Processing (Maximum of 10 days from the last date of the conduct of examination ceoncern)	1600 Per Day
Controller of Examination	Rs. 800 Per Shift (For Concuct of Examination) 1600 Per day for Processing (Maximum of 10 days from the last date of the conduct of examination concern)	1600 Per Day
Finance Officer	Rs. 800 Per Shift (For Conduct of Examination) 1600 Per day for (Maximum of 10 days from the last date of the conduct of examination concern)	1600 Per Day
Astt. Superintendent	Rs. 18000/- (Per Semester)	18000/- (Per Semester)

अन्य बिन्दु संख्या–7

श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री राम बहादुर सिंह संविदा सुरक्षा गार्ड (सेवानिवृत्त) को प्रदान किये जा रहे वेतन रू0 13,747/– प्रतिमाह मे वृद्धि करते हुए रू0 25,000/– प्रतिमाह किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्व में लिए गये निर्णय के क्रम में सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–8

विदेशी छात्र–छात्राओं को लखनऊ विश्वविद्यालय मे परशियन की पढ़ाई हेतु प्रति छात्र आठ सप्ताह के समर प्रोग्राम हेतु रू0 5,000/– तथा एक शैक्षणिक सत्र हेतु रू0 7,500/– मात्र शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–9

परीक्षा विभाग मे 02 कम्प्यूटर आपरेटर आउटसोर्सिगं के माध्यम से लिये जाने तथा उनका भुगतान केन्द्र सरकार राजाज्ञा No-s.o 188 (E) दिनांक 19 जनवरी, 2017 के क्रम मे भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के फाइल नं0 1/13 (3) 2022 –25–11 के अनुसार अतिकुशल श्रेणी के कार्मिको को रू0 940/– प्रतिदिन अर्थात रू0 28,200/– प्रतिमाह दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु अतिकुशल श्रेणी के कार्मिको को रू0 940/– प्रतिदिन अर्थात अधिकतम रू0 28,200/– प्रतिमाह दिये जाने हेतु कम्प्यूटर आपरेटर के स्थान पर कम्प्यूटर–प्रोग्रामर–कम कम्प्यूटर आपरेटर के नाम से स्वीकृत पद के सापेक्ष नियमानुसार आउटसोर्सिगं से कार्मिक की सेवाये ली जायें एवं उसकी अर्हता एम.सी.ए. /B.E./B.Tech. अथवा उसके समकक्ष की डिग्री धारित कर्ता हो।

(अजय सिंह चौहान)
लेखाधिकारी,
प्रतिनिधि अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार कार्यालय, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

(सुधीर चौहान)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक

(डॉ0 संजय मेधावी)
कुलसचिव

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति